[2018] 13 एस. सी. आर 379

भारत का संघ

वी.

हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी

(2018 की सिविल अपील No.4628)

सितंबर 25,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 34 - " मध्यस्थता समझौते के तहत मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने के लिए "स्थान" और "स्थान"-मध्यस्थ ने कुआलालंपुर में बैठक की और प्रतिवादियों के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार पर हस्ताक्षर किए-अपीलार्थी

पुरस्कार की कानूनी औचित्य और शुद्धता को चुनौती दी यू / धारा 34-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता समझौते की शर्तों में,

भारतीय न्यायालयों के पास आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि समझौते के Art.33 में कुआलालंपुर को मध्यस्थता के लिए एक स्थान के रूप में उल्लेख किया गया था-पीड़ित, अपीलार्थी ने अपील दायर की-उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने मध्यस्थता समझौते/अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौते के तहत मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने के लिए "स्थान" और "स्थान" के बारे में प्रश्न का निर्णय करने के लिए मामले को बड़ी पीठ को भेजा।

वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौता-आयोजितः मध्यस्थता खंड को इसके इरादे को समझने के लिए प्रासंगिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके कि क्या यह स्थान निर्धारित करता है या नहीं-इसके अलावा, इसे समग्र तरीके से पढ़ा जाना चाहिए ताकि न्यायालय की अधिकारिता निर्धारित की जा सके-इसके अलावा, यदि स्थान का उल्लेख है और उसमें कुछ और जोड़ा गया है, तो पर्चे की प्रकृति के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि अधिनियम के भाग-I का निहित बहिष्कार है-विभिन्न स्थानों पर बैठकें स्थान से संबंधित हैं-हालांकि, इसे मध्यस्थता के स्थान या मध्यस्थता के स्थान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है-जहां तक मध्यस्थता का स्थान है

वर्तमान मामले में पक्षों के बीच मध्यस्थता के स्थान पर पक्षों के बीच सहमति नहीं हुई थी-पक्षों के बीच समझौते की विफलता के मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को UNCITRAL मॉडल कानून के उसी यू/Art.20 को निर्धारित करने की आवश्यकता थी-यह भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी था कि निर्धारण स्पष्ट रूप से पुरस्कार के रूप और सामग्री में कहा गया था जैसा कि UNCITRAL मॉडल कानून के Art.31 में अभिनिर्धारित किया गया था-तत्काल मामले में,

कोई दृढ़ संकल्प या दूसरे शब्दों में, कोई निर्णय और राय की अभिव्यक्ति नहीं थी-इस प्रकार, 'स्थान' शब्द का उपयोग 'आसन' के रूप में नहीं किया जा सकता है, हालांकि आम तौर पर 'स्थान' और 'आसन' का उपयोग किया जाता है।

एक दूसरे के स्थान पर-सीट के विपरीत एक स्थान, जैसा कि अनुबंध में देखा गया है, एक सीट बन सकता है यदि पूर्ववर्ती शर्तों में से एक संतुष्ट हो-यह वास्तव में सीट की स्थिति को नहीं मानता है-जैसा कि पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, कौला लम्पुर सीट या स्थान नहीं था

मध्यस्थता-इसलिए, भारत में न्यायालयों को आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था अधिनियम की धारा 34-UNCITRAL मॉडल लॉ-आर्ट्स। 20

और 31.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

और मध्यस्थता का स्थान मतलब। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थता खंड को समग्र तरीके से पढ़ा जाना चाहिए ताकि न्यायालय की अधिकारिता निर्धारित की जा सके। इसके अलावा, यदि स्थान का उल्लेख है और उसमें कुछ और जोड़ा गया है, प्रिस्क्रिप्शन की प्रकृति के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि अधिनियम के भाग I का निहित अपवर्जन है। [पैरा 23] [399-ई-एफ]

2. वर्तमान मामले में, मध्यस्थता का स्थान होना था

दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। इस पर सहमति नहीं बनी थी; और समझौते की विफलता के मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण करना आवश्यक है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का यह भी दायित्व है कि निर्धारण अनुच्छेद 31 में अभिनिर्धारित 'निर्णय के रूप और विषय-वस्तु' में स्पष्ट रूप से कहा जाए। कोई निश्चय नहीं किया गया है। [पैरा 31] [403-ए-बी]

3. 'निर्धारण' शब्द प्रासंगिक होना चाहिए।

तय किया। जब किसी 'स्थान' पर सहमति होती है, तो उसे इसका दर्जा मिलता है - सीट जिसका अर्थ है न्यायिक सीट। 'स्थान' और 'आसन' शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। जब केवल 'स्थान' शब्द कहा या उल्लेख किया जाता है और कोई अन्य शर्त नहीं मानी जाती है, तो यह समतुल्य है।

'सीट' के लिए और यह अधिकार क्षेत्र के पहलू को अंतिम रूप देता है। लेकिन यदि 'स्थान' शब्द के साथ एक पूर्ववर्ती शर्त जुड़ी हुई है, तो उक्त शर्त को पूरा करना होगा ताकि स्थान आसन के बराबर हो सके। तत्काल मामले में, क्योंकि दो अलग और विच्छेदित सवार हैं, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी

उनमें से किसी एक को एक स्थान बनने के लिए संतुष्ट होना पड़ता है। जैसा कि स्पष्ट है, कोई समझौता नहीं है। जहाँ तक दृढ़ संकल्प की बात है

चिंतित, कोई दृढ़ संकल्प नहीं किया गया है। [पैरा 34] [403-डी-एफ]

4. दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति एक अभिव्यंजक राय को दर्शाती है। तत्काल मामले में, कोई निर्णय और राय की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। अतः 'स्थान' शब्द का उपयोग आसन के रूप में नहीं किया जा सकता है। विस्तार से, एक स्थान एक सीट बन सकता है यदि इसमें एक संगत के रूप में कुछ और जोड़ा जाता है। लेकिन सीट के विपरीत एक स्थान, कम से कम जैसा कि अनुबंध में देखा गया है, एक सीट बन सकता है यदि पूर्ववर्ती शर्तों में से एक संतुष्ट हो। यह वास्तव में सीट का दर्जा नहीं लेता है। इस प्रकार समझा जाता है कि कुआलालंपुर मध्यस्थता का स्थान या स्थान नहीं है और विनिमय योग्य उपयोग सख्ती से लागू नहीं होगा। इस प्रकार, भारत में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है और इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 34] [404-बी-ई]

भारत संघ बनाम। हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आई. एन. सी. (2018) 7 एस. सी. सी. 374; सरकार। भारत का वी.

पेट्रोकॉन इंडिया लिमिटेड (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. वाई. एफ. सी. 35;

सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड और अन्य (1998) 1 एस. सी. सी. 305; भाटिया इंटरनेशनल बनाम। बल्क ट्रेडिंग एस. ए. और एक अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 105; वेंचर ग्लोबल

इंजीनियरिंग वी। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड और

एक अन्य (2008) 4 एस. सी. सी. 190; वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2011) 6 एस. सी. सी. 161;

डोज़को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डूसन इन्फ्राकोर कं।

लिमिटेड (2011) 6 एस. सी. सी. 17: [2010] 12 एस. सी. आर. 259; भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी

सर्विसेज आई. एन. सी. (2012) 9 एस. सी. सी. 552: [2012] 12 एस. सी. आर. 327; एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम एनरकॉन जी. एम. बी. एच. एंड अदर (2014) 5 एस. सी. सी. 1: [2014] 2 एससीआर 855; रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य बनाम। संघ का

भारत (2014) 7 एससीसी 603: [2014] 6 एस. सी. आर. 456; हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड बनाम गुप्ता कोल इंडिया लिमिटेड और एक और (2015) 9 एससीसी 172: [2015] 2 एस. सी. आर. 697; भारत संघ बनाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य (2015) 10 एस. सी. सी. 212: [2015] 10 एस. सी. आर. 85; एट्ज़ेन बल्क ए/एस और अन्य बनाम। आशापुरा माइनकेम लिमिटेड और

एक और (2016) 11 एस. सी. सी. 508 [2016] 2 एस. सी. आर. 634; आईमैक्स [2018] 13 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगम बनाम। ई-सिटी एंटरटेनमेंट (इंडिया) प्रा. ढक्कन।

(2017) 5 एससीसी 331 [2017] 4 एससीआर 833; रोजर

शाशोआ और अन्य बनाम। मुकेश शर्मा और अन्य

(2017) 14 एससीसी 722 [2017] 7 एससीआर 442; इंडटेल

तकनीकी सेवा निजी लिमिटेड v. डब्ल्यू. एस. एटकिन्स रेल

लिमिटेड (2008) 10 एससीसी 308: [2008] 12 एससीआर 673;

अशोक लेलैंड लिमिटेड बनाम टी. एन. राज्य और एक अन्य

(2004) 3 एससीसी 1: [2004] 1 एस. सी. आर. 307-संदर्भित।

लेसोथो उच्चभूमि विकास प्राधिकरण बनाम। अनुचित

एस. पी. ए. (2005) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 129; नेवेरा अमेजोनिका प्यूआना एस. ए. वी. पेरू के सेगुरोस डेल पेरू की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी

(1998) 1 लॉयड के कानून की रिपोर्ट 116 (सी. ए.);

भारत बनाम. मैकडॉनेल डगलस कॉर्पोरेशन (1993) 2

लॉयड का कानून 48 रिपोर्ट करता है; हिस्कोक्स बनाम। ऑथवेट (1992)

1 AC 562; C v. डी (2007) ईडब्ल्यूसीए सीवी 1282 (सीए);

सी वी। डी (2008) 1 लॉयड्स लॉ रिपोर्ट 239; ब्रेज़ ऑफ़

डोने विंड फार्म (स्कॉटलैंड) लिमिटेड बनाम। अल्फ्रेड मैकअल्पाइन

बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड (2008) ईडब्ल्यूएचसी 426 (टीसीसी);

जीएमबीएच वी. एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड (2012) ईडब्ल्यूएचसी 3711 (कॉम.)-संदर्भित।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण-- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2018) 7 एस. सी. सी. 374

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[1997] 6 पूरक। एससीआर 186

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2002] 2 एससीआर 411

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2008] 1 एससीआर 501

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

[2011] 8 एससीआर 569

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

[2010] 12 एससीआर 259

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

[2012] 12 एससीआर 327

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2014] 2 एससीआर 855

संदर्भित किया गया है

पैरा 3 भारत संघ v. हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी

[2014] 6 एससीआर 456

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

[2015] 2 एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2015] 10 एससीआर 85

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2016] 2 एससीआर 634

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

[2017] 4 एससीआर 833

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2017] 7 एससीआर 442

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

[2008] 12 एससीआर 673

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2004] 1 एस. सी. आर. 303

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4628

2018 से।

उच्च न्यायालय के 27.07.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) सं. 59 में नई दिल्ली में।

तुषार मेहता, एएसजी, रजत नायर, के. आर. शशिप्रभु, नकुल दीवान,

सोमिरन शर्मा, रोबिन वी. एस., सुश्री कानू अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमित नाइक, ऋषि अग्रवाल, अभिषेक

काले, हर्षवर्धन झा, करण लूथरा, सुश्री देविका मोहन (ई. सी. अग्रवाल के लिए), अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई 1. वर्तमान अपील अंतिम से उत्पन्न हुई

27 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2016 के एफ. ए. ओ. संख्या 59 में पारित निर्णय और आदेश, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था।

भारत, इसमें अपीलकर्ता, 2013 के ओ. एम. पी. संख्या 693 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 9 जुलाई, 2015 के आदेश और आदेश पर हस्ताक्षर करता है। दिनांक 20 जनवरी, 2016 को 2013 के ओ. एम. पी. संख्या 693 में 2015 की समीक्षा याचिका संख्या 400 में पारित किया गया। डिवीजन बेंच ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षिप्तता 'अधिनियम' के लिए) की धारा 34 के तहत प्रतिवादियों के पक्ष में मध्यस्थों द्वारा दिए गए निर्णय की कानूनी औचित्य और शुद्धता को चुनौती दी थी। उक्त आवेदन का प्रतिवाद प्रत्यर्थी द्वारा किया गया था

लेकिन अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन की रखरखाव से संबंधित आपत्ति का जोर। इससे पहले यह दावा किया गया था कि उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में न्यायालयों के पास [2018] 13 एस. सी. आर. पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचाराधीन पुरस्कार की वैधता को चुनौती देने के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 9 जुलाई, 2015 के आदेश के माध्यम से प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार कर लिया और यह अभिनिर्धारित किया कि समझौते की शर्तों और इस क्षेत्र को धारण करने वाले उदाहरणों को देखते हुए, भारतीय न्यायालयों के पास आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस दृष्टिकोण के होने के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका में आग्रह किए गए अन्य आधारों का विज्ञापन नहीं किया।

2. उपरोक्त आदेश से दुखी होकर, भारत संघ ने डिवीजन बेंच के समक्ष अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत अपील की।

जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमत था। 3. विशेष अनुमति द्वारा अपील में, दोनों-भारत संघ में न्यायाधीश पीठ बनाम। हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आई. एन. सी. 1

विदेशी क्षेत्राधिकारों से कुछ निर्णय, अर्थात्, नेवेरा अमेज़ोनिका पेरूआना एस. ए. वी. कम्पानिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू ', हिस्कोक्स बनाम। ऑथवेट 3, भारत संघ बनाम। मैकडॉनेल डगलस कॉर्प। 4 ,

सी वी। डी 3, सी वी। डो, ब्रेज़ ऑफ़ डोउन विंड फ़ार्म (स्कॉटलैंड) लिमिटेड बनाम। अल्फ्रेड मैकएल्पाइन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड ', शाशोआ और ओआरएस। वी. शर्मा, सुलामेरिका सिया नैसिओनल डी सेगुरोस एस. ए. और अन्य। वी. एनेसा एंगेनहारिया एसए एंड ओआरएस। ' , (1) एनरकॉन जी. एम. बी. एच. (2) वोब्बेन गुण जी. एम. बी. एच. बनाम। एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड "और सरकार। भारत का वी. पेट्रोकॉन इंडिया लिमिटेड "उपरोक्त के अलावा, सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में दिए गए निर्णय। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड और अन्य 1 2, भाटिया इंटरनेशनल बनाम। बल्क ट्रेडिंग एस. ए. और अन्य 1,3, वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग बनाम। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड और अन्य 1 4,

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ और एक अन्य ", डोज़को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। डूसन इन्फ्राकोर कंपनी लिमिटेड ", भारत

1 1 (2018) 7 एस. सी. सी. 374 2 (1988) (1) लॉयड्स लॉ रिपोर्ट्स 116 3 (1992) 1 एसी 562 4 (1993) 2 लॉयड्स लॉ रिपोर्ट्स 48 5 (2007) ईडब्ल्यूसीए सिविल 1282 (सीए) 6 (2008) 1 लॉयड्स लॉ रिपोर्ट्स 239 7 (2008) ईडब्ल्यूएचसी 426 (टीसीसी)

8 (2009) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 957 (कम.) 9 (2012) ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 638 10 (2012) ईडब्ल्यूएचसी 3711 (कम.) 11 (2016) एससीसी ऑनलाइन एमवाईएफसी 35 1 2 12 (1998) 1 एससीसी 305

13 (2002) 4 एससीसी 105

14 (2008) 4 एससीसी 190 15 (2011) 6 एससीसी 161

हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज आईएनसी ", एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम। एनरकॉन जी. एम. बी. एच. और अन्य 1,8, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य वी. यूनियन ऑफ इंडिया ", हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड बनाम। गुप्ता कोल इंडिया लिमिटेड और एक अन्य 20, भारत संघ बनाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य 2 1, एट्ज़ेन बल्क ए/एस और अन्य बनाम। आशापुरा माइनकेम लिमिटेड और अन्य 22, आईमैक्स कॉर्पोरेशन बनाम। ई-सिटी एंटरटेनमेंट (इंडिया) प्रा. Lid.2³ और रोजर शाशोआ और अन्य बनाम। मुकेश शर्मा और अन्य 24 को भी संदर्भित किया गया था।

4. दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने कहाः

" 17. दोनों विद्वान वरिष्ठ वकीलों का तर्क मुख्य रूप से

एक प्रश्न के आसपास केंद्रित है जो, हमारी राय में, अपील में उत्पन्न होता है, अर्थात्, जब मध्यस्थता समझौता मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता बैठक आयोजित करने के लिए "स्थान" निर्दिष्ट करता है, लेकिन "सीट" निर्दिष्ट नहीं करता है, तो किस आधार पर और किस सिद्धांत द्वारा, पक्षों को "सीट" का स्थान तय करना होगा जिसका किसी भी कानून की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए एक भौतिक असर होता है।

पुरस्कार के बाद मध्यस्थता तय करने के लिए विशेष देश कार्यवाही।

XXX

XXX

XXX

भारत एल्यूमीनियम में तीन न्यायाधीशों की पीठ का हालिया निर्णय कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा आई. एन. सी. (ऊपर), इस कारण से कि इसे मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत प्रदान किया गया था, जिसे अब मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा निरस्त कर दिया गया है और दूसरा, इसे विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 की धारा 9 के संबंध में भी प्रदान किया गया था।

अब 1996 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

17 (2012) 9 एस. सी. सी. 552 18 (2014) 5 एससीसी 1

19 (2014) 7 एस. सी. सी. 603

20 (2015) 9 एस. सी. सी 172

21 (2015) 10 एससीसी213

22 (2016) 11 एस. सी. सी. 508 23 (2017) 5 एससीसी 331

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. यह उनका निवेदन था कि सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) के अनुपात को मंजूरी देते समय इन दो कारकों की, जिनकी इसकी प्रभावकारिता पर कुछ प्रासंगिकता है, भारत एल्यूमीनियम कंपनी (ऊपर) के मामले में जांच नहीं की गई है।

22. डॉ. सिंघवी ने यह भी आग्रह किया कि UNCITRAL मॉडल कानून का क्या प्रभाव है, जब उन्हें "सीट" के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता सहमति का हिस्सा बनाया जाता है, तो अभी तक पहले के किसी भी निर्णय में निर्णय नहीं लिया गया है।

5. उसी की सराहना करते हुए, विद्वान न्यायाधीशों ने इस प्रकार राय दीः

मध्यस्थता समझौते/अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों का निर्णय मुख्य रूप से मध्यस्थता समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय पीठों द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर विस्तृत है, और पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और अपील में शामिल मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता मामलों में उत्पन्न होते हैं, हमारा विचार है कि यह सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश VI नियम 2 के तहत हमारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है और इस मामले (अपील) को इस न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा अपनी सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए। इस तरह यह मामला हमारे सामने रखा गया है।

6. शुरुआत में, हम लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि श्री तुषार मेहता, संघ की ओर से पेश होने वाले विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

भारत और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत निष्पक्षता से कहा कि कोई संदर्भ नहीं मांगा गया था और संदर्भ का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि मामले को अपने गुण-दोष पर निपटना है। बार में उक्त निवेदन के आगे बढ़ने के बावजूद, हम मानते हैं कि विवाद को शांत करना उचित है क्योंकि दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ को भेजना उचित समझा।
7. यह उपयोगी रूप से ध्यान दिया जा सकता है कि दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान पीठ द्वारा दिए गए कुछ फैसलों पर भी ध्यान दिया है

और कुछ तीन न्यायाधीशों और दो न्यायाधीशों की ताकत से। दोनों न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों में से एक यह थी कि भारत संघ बनाम.

हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

भारी उद्योग लिमिटेड (ऊपर)। उक्त मामले में विवाद मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (इसके बाद '1940 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कानूनों से संबंधित है। विद्वान न्यायाधीशों ने पैराग्राफ 10 के कुछ अंशों का उल्लेख किया जिसमें 'लागू कानून और न्यायालय की अधिकारिता' पर एक अध्याय है। तीन-न्यायाधीशों की पीठ उप-शीर्षक 'कानून को नियंत्रित करने वाले कानून' से कुछ अंशों को पुनः प्रस्तुत किया गया

मध्यस्थता 'जो इस प्रकार हैः

" मध्यस्थता के लिए एक सहमत संदर्भ में दो समूह शामिल हैं -

दायित्व। पहला आपसी दायित्वों से संबंधित है

भविष्य के विवादों, या किसी मौजूदा विवाद को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकार

दर अनुबंध, मूल समझौते से अलग जिसमें यह आमतौर पर अंतर्निहित होता है, मूल समझौते की समाप्ति से बचने में सक्षम होता है और व्यक्त या निहित सहमति, या अस्वीकृति या हताशा द्वारा समय से पहले समाप्ति के लिए अतिसंवेदनशील होता है। बहुत हद तक उसी तरह जैसे अनुबंध के अधिक सामान्य रूपों में। चूँकि इस समझौते का अपना एक अलग जीवन है, इसलिए यह सिद्धांत रूप में अपने स्वयं के एक उचित कानून द्वारा शासित हो सकता है, जो मूल संपर्क को नियंत्रित करने वाले कानून के समान होने की आवश्यकता नहीं है।

दायित्वों का दूसरा समूह, जिसमें आमतौर पर मध्यस्थता के 'क्यूरियल लॉ' के रूप में संदर्भित किया जाता है,

यह उस तरीके से संबंधित है जिसमें पक्षकार और मध्यस्थ हैं।

किसी विशेष विवाद के संदर्भ का संचालन करने के लिए आवश्यक।

मध्यस्थता के अंग्रेजी सिद्धांत के अनुसार, इन नियमों को मध्यस्थता के लिए समझौते की स्पष्ट या निहित शर्तों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है। ऐसा होने पर, अधिकांश मामलों में यह पाया जाएगा कि क्यूरियल कानून, यानी संदर्भ के संचालन को नियंत्रित करने वाला कानून, मध्यस्थता के दायित्व को नियंत्रित करने वाले कानून के समान है। हालाँकि, पक्षकारों के लिए यह खुला है कि वे संदर्भ के आचरण को स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से प्रस्तुत करें। अंतर्निहित मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाले कानून से अलग कानून। ऐसे मामले में, अदालत पहले मध्यस्थता समझौते को देखती है कि क्या विवाद वह है जो [2018] 13 एस. सी. आर. होना चाहिए।

मध्यस्थता की गई, और जिसे वैध रूप से संदर्भ का विषय बना दिया गया है; फिर यह देखने के लिए कि उस संदर्भ को कैसे संचालित किया जाना चाहिए, यह क्यूरियल कानून की ओर देखता है; और फिर परिणामी पुरस्कार को प्रभावी बनाने के लिए पहले कानून पर लौटता है।

XXX

XXX

XXX

2. मध्यस्थता समझौते का उचित कानून, अर्थात मध्यस्थता के लिए विवादों को प्रस्तुत करने और एक पुरस्कार का सम्मान करने के लिए पक्षों के दायित्व को नियंत्रित करने वाला कानून। 3. क्यूरियल कानून, अर्थात व्यक्तिगत संदर्भ के आचरण को नियंत्रित करने वाला कानून।

XXX

XXX

XXX

1. मध्यस्थता समझौते का उचित कानून नियंत्रित करता है

मध्यस्थता समझौते की वैधता, यह प्रश्न कि क्या कोई विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है; मध्यस्थता की सूचना की वैधता; न्यायाधिकरण का गठन; यह प्रश्न कि क्या कोई पुरस्कार मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में आता है; पुरस्कार की औपचारिक वैधता; यह प्रश्न कि क्या पक्षों को भविष्य के विवादों को मध्यस्थता करने के किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया गया है।

2. क्यूरियल लॉ उस तरीके को नियंत्रित करता है जिसमें संदर्भ का संचालन किया जाना है; मध्यस्थ की प्रक्रियात्मक शक्तियाँ और कर्तव्य; साक्ष्य के प्रश्न; अनुबंध के उचित कानून का निर्धारण।

3. संदर्भ का उचित कानून इस सवाल को नियंत्रित करता है कि क्या पक्षों को व्यक्तिगत विवाद के संदर्भ को जारी रखने के उनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया है।

XXX

XXX

XXX यूनियन ऑफ इंडिया v. हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

स्पष्ट समझौते के अभाव में, एक मजबूत प्रथम दृष्टया धारणा है कि पक्ष क्यूरियल कानून का इरादा रखते हैं मध्यस्थता की 'पीठ' की विधि, अर्थात वह स्थान जहाँ मध्यस्थता का संचालन किया जाना है, इस आधार पर कि वह देश कार्यवाही से सबसे निकटता से जुड़ा हुआ है। इसलिए पक्षों द्वारा एक स्पष्ट विकल्प के अभाव में क्यूरियल कानून को निर्धारित करने के लिए पहले मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करना आवश्यक है, मध्यस्थता के लिए समझौते का अर्थ "

उसी को दोहराते हुए, न्यायालय ने राय दीः

" हम सोचते हैं कि हमारा यह निष्कर्ष कि न्यायालय में निर्णय दाखिल करने के लिए क्यूरियल कानून लागू नहीं होता है, तदनुसार, अच्छा होना चाहिए। हम मस्टिल और बॉयड के उद्धरणों में निष्कर्ष के लिए समर्थन पाते हैं जिन्हें हमने पहले उद्धृत किया है। जहां संदर्भ के संचालन को नियंत्रित करने वाला कानून अंतर्निहित मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाले कानून से अलग है, अदालत इस पर विचार करती है -

यह देखने के लिए कि क्या विवाद मध्यस्थता योग्य है, मध्यस्थता समझौता यह देखने के लिए कि संदर्भ कैसे संचालित किया जाना चाहिए, और फिर परिणामी पुरस्कार को प्रभावी बनाने के लिए पहले कानून पर लौटता है। जो कानून अधिनिर्णय दाखिल करने, उसके प्रवर्तन और उसे अलग करने पर लागू होगा, वह मध्यस्थता के समझौते और उसके निष्पादन को नियंत्रित करने वाला कानून होगा।

समझौता। के खंड 17 की स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए

से उत्पन्न होने वाले पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करना मध्यस्थता के लिए उनकी सहमति, और, विशेष रूप से, मध्यस्थता के लिए विवादों को प्रस्तुत करने और पुरस्कार का सम्मान करने के लिए उनके दायित्व हैंः

भारत के कानून द्वारा शासित; और न ही इस संबंध में कोई विवाद है। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 47 इस प्रकार हैः

" 47. सभी मध्यस्थताओं पर लागू होने के लिए अधिनियम। - धारा 46 के प्रावधानों के अधीन, और जहाँ तक किसी भी कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किया गया है, उसके अलावा

तत्काल प्रभाव से इस अधिनियम के प्रावधान सभी मध्यस्थताओं और उसके तहत सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

बशर्ते कि अन्यथा प्राप्त मध्यस्थता पुरस्कार को सभी इच्छुक पक्षों की सहमति से [2018] 13 एस. सी. आर. में लिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी के द्वारा वाद के समझौते या समायोजन के रूप में विचार

अदालत जिसके समक्ष मुकदमा लंबित है।

अंततः, न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

" धारा 9 (बी) के कारण, 1961 का अधिनियम भारत के कानून द्वारा शासित मध्यस्थता समझौते पर किए गए किसी भी निर्णय पर लागू नहीं होता है। अतः 1961 का अधिनियम अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी के बीच मध्यस्थता समझौते पर लागू नहीं होता है। द.

1940 अधिनियम, उस पर लागू होता है और, उसकी धारा 14 (2) के कारण, भारत में न्यायालयों द्वारा दिए गए पुरस्कार को प्राप्त करने के हकदार हैं दूसरा उत्तरदाता। हमें पूर्णता के हितों में यह जोड़ना चाहिए कि यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि बॉम्बे में उच्च न्यायालय

ऐसा करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव था।

8. उपरोक्त निर्णय को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 1940 के अधिनियम से संबंधित विवाद और चर्चा संबंधित थी

विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 (संक्षिप्तता के लिए, 1961 अधिनियम) के तहत विदेशी पुरस्कार के लिए। इस प्रकार, उसमें निर्धारित सिद्धांत किसी भी तरह से निर्धारण की अवधारणा पर लागू नहीं होता है।

जैसा कि बाल्को मामले में निपटा गया है और यह भी कि

निहित बहिष्करण की अवधारणा जैसा कि भाटिया इंटरनेशनल (ऊपर) कहता है। इसके अलावा, हम बाद के अधिकारियों को यह भी बताएँगे कि उन्होंने उक्त निर्णय को कैसे समझा है।

9. भाटिया इंटरनेशनल (ऊपर) में, इस न्यायालय की एक पीठ अधिनियम की धारा 9 की प्रयोज्यता और भारत में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से निपट रही थी। विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहाः

" निष्कर्ष निकालने के लिए हम मानते हैं कि भाग I के प्रावधान सभी मध्यस्थताओं और उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे। जहाँ ऐसा मध्यस्थता भारत में आयोजित किया जाता है, वहाँ भाग I के प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू होंगे और पक्षकार केवल भाग I के अपमानजनक प्रावधानों द्वारा अनुमत सीमा तक विचलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामलों में भाग I के प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक कि पक्षकार समझौते द्वारा, व्यक्त या निहित, इसके सभी या किसी भी प्रावधान को बाहर नहीं करते हैं। उस स्थिति में पक्षों द्वारा चुने गए कानून या नियम प्रबल होंगे। भाग I में कोई भी प्रावधान, जो उस कानून या नियमों के विपरीत या बहिष्कृत है, लागू नहीं होगा।

10. न्यायालय के समक्ष एक तर्क उठाया गया था कि जब पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि मध्यस्थता आई. सी. सी. नियमों के अनुसार होगी, तो आवश्यक भारत संघ v.

हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

कारण, धारा 9 लागू नहीं होगी। विद्वान न्यायाधीशों ने आई. सी. सी. नियमों की धारा 23 का उल्लेख किया और उसके बाद यह निर्णय लिया किः

" इस प्रकार आई. सी. सी. नियमों का अनुच्छेद 23 पक्षों को एक पर आवेदन करने की अनुमति देता है

अंतरिम और संरक्षण के लिए सक्षम न्यायिक प्राधिकरण

निश्चित रूप से। इसलिए, ऐसे मामलों में एक आवेदन किया जा सकता है

उक्त अधिनियम की धारा।

अंत में यह कहा जाना चाहिए कि उक्त अधिनियम एक अच्छी तरह से तैयार किया गया विधान प्रतीत नहीं होता है। इसलिए उड़ीसा के उच्च न्यायालयों,

बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता है।

ऊपर बताए गए तरीके से इसकी व्याख्या करना। हालाँकि, हमारे विचार में सभी प्रावधानों का एक उचित और संयुक्त अध्ययन इंगित करता है कि भाग I अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पर भी लागू होता है।

मध्यस्थता जो भारत से बाहर होती है, जब तक कि पक्षकार समझौते द्वारा इसे या इसके किसी भी प्रावधान को व्यक्त या निहित रूप से बाहर नहीं करते हैं।

इस तरह की व्याख्या से उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान के बीच कोई टकराव नहीं होता है। इस व्याख्या में उक्त अधिनियम में कोई कमी नहीं है। यह व्याख्या भी एक नहीं छोड़ती है

पार्टी उपचारहीन। अतः ऐसी व्याख्या होनी चाहिए उड़ीसा, बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए उच्च न्यायालय को प्राथमिकता दी गई। इसलिए यह अभिनिर्धारित करना होगा कि इन उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण अच्छा कानून नहीं है। ”

11. इंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। डब्ल्यू. एस. एटकिन्स

लिमिटेड ", नामित न्यायाधीश को निर्णय लेने के लिए बुलाया गया था

एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति। मध्यस्थता खंड का विश्लेषण करना

लेसोथो हाइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम में प्राधिकरण।

उदाहरण के लिए एस. पी. ए. 26, न्यायालय इस प्रकार निर्णय लेने आयाः

एनटीपीसी बनाम में संदर्भित न्यायविदों के विचार। सिंगर कंपनी केस सपोर्ट ऐसा प्रस्ताव। हालाँकि, इस मामले में अधिकारियों के विभिन्न निर्णयों और विचारों को जो बात अलग करती है, वह यह है कि भाटिया इंटरनेशनल में इस न्यायालय ने यह प्रस्ताव रखा है कि

08) 10 एस. सी. सी. 308

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2 (2) के प्रावधानों के बावजूद, यह दर्शाता है कि उक्त अधिनियम का भाग I लागू होगा जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक समझौतों के संबंध में भी, जो किसी अन्य देश के कानूनों द्वारा शासित होने हैं, पक्षकार उपरोक्त अधिनियम के भाग I के प्रावधानों को लागू करने के हकदार होंगे और परिणामस्वरूप इसकी धारा 11 के तहत किया गया आवेदन बनाए रखने योग्य बनें "।

12. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई), (ऊपर) में, अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत उसने

अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर याचिका पर विचार किया गया। न्यायालय ने "एकमात्र विशेषज्ञ, सुलह और मध्यस्थता" से संबंधित खंड और "लागू कानून और मध्यस्थता" से संबंधित खंड को स्कैन किया।

मध्यस्थता "और अन्य खंडों को आगे बढ़ाते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जब पक्षकार सचेत रूप से सहमत हो गए थे कि मध्यस्थता का न्यायिक स्थान लंदन में होगा और यह समझौता इसके द्वारा शासित होगा -

लंदन के कानून, अधिनियम के भाग I के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

13. वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) में, न्यायालय ने अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 3 का उल्लेख किया जो

मध्यस्थता का स्थान और धारा 53 जो उस स्थान को निर्धारित करती है जहाँ पुरस्कार दिए जाने के रूप में माना जाता है। इसने डोज़को इंडिया पी. लिमिटेड (ऊपर) में प्राधिकरण का उल्लेख किया और अंततः यह माना गया किः

" वर्तमान मामले में भी, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि अनुच्छेद 33.1 के बावजूद, अनुच्छेद 34 में निहित मध्यस्थता समझौता इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित होगा। इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि पक्ष अधिनियम के भाग I के प्रावधानों को बाहर करने के लिए सहमत हुए थे। उपरोक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था और केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी ने पहले इसी तरह की याचिकाएं दायर की थीं, उस उच्च न्यायालय को प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र के साथ पहनने के लिए पर्याप्त नहीं था।

14. भारत एल्यूमीनियम कंपनी में संविधान पीठ

(ऊपर) ने भाटिया इंटरनेशनल (ऊपर) और वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसलों को खारिज कर दिया और राय दीः

" हमारी राय में, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (2) में निहित प्रावधान भारत संघ के किसी भी प्रावधान के साथ टकराव में नहीं है।

हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

या तो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I या भाग II में। विदेश स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, अंतरिम राहत के लिए कोई भी आवेदन धारा 9 या किसी अन्य के तहत बनाए रखने योग्य नहीं होगा। अन्य प्रावधान, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I की प्रयोज्यता के रूप में भारत में होने वाले सभी मध्यस्थताओं तक सीमित है।

इसी तरह, अंतरिम निषेधाज्ञा सरलीकरण के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा

भारत के बाहर एक सीट के साथ एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के आधार पर भारत में बनाए रखने योग्य। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I केवल उन सभी मध्यस्थताओं पर लागू होता है जो इस क्षेत्र के भीतर होते हैं -

भारत "।

15. यह ध्यान दिया जाए कि वृहद पीठ ने फैसला सुनाया कि पूर्ण ई करने के लिए, इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून निर्णय देने की तारीख के बाद निष्पादित सभी समझौते पर संभावित रूप से लागू होगा। उक्त मामले में, संविधान पीठ ने मध्यस्थता की अवधारणा/स्थान/स्थिति पर विचार करते हुए, नेवेरा में निर्णयों का उल्लेख कियाजोनिका प्यूआना एस. ए. वी. सेगुरोस डेल कम्पानिया इंटरनेशनल

27 और भारत संघ बनाम। मैकडॉनेल डगलस कॉर्पोरेशन 2 8 और

इस प्रकार रखें:

" 76. यह इंगित किया जाना चाहिए कि उस स्थान या स्थान का कानून जहां मध्यस्थता आयोजित की जाती है, आम तौर पर उस मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून होता है। मध्यस्थता के स्थान और कानून के बीच क्षेत्रीय संबंध यह शासित करता है कि मध्यस्थता अंतरराष्ट्रीय उपकरणों में अच्छी तरह से स्थापित है, अर्थात्, 1958 का न्यूयॉर्क कन्वेंशन और

जिस स्थान में यह आयोजित किया जाता है, उस स्थान की विधि, जो मध्यस्थता का 'स्थान' (या 'मंच' या लोकस आर्बिट्री) है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में अच्छी तरह से स्थापित है। वास्तव में, जिनेवा प्रोटोकॉल, 1923 में कहा गया है:

" 2. मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन सहित मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षकारों की इच्छा और उस देश के कानून द्वारा शासित होगी जिसके क्षेत्र में मध्यस्थता होती है।

8) 1 लॉयड का प्रतिनिधि 116 (सीए)

3) 2 लॉयड के प्रतिनिधि 48 [2018] 13 एस. सी. आर

न्यूयॉर्क कन्वेंशन "के कानून" के संदर्भ को बनाए रखता है

वह देश जहाँ मध्यस्थता हुई "[अनुच्छेद 5 (1) (घ)]

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन स्पष्ट रूप से जारी है मध्यस्थता के स्थान और कानून के बीच क्षेत्रीय संबंध

उस मध्यस्थता को नियंत्रित करना। लेखक आगे बताते हैं कि यह

क्षेत्रीय लिंक को फिर से मॉडल कानून में बनाए रखा गया है जो प्रदान करता है

अनुच्छेद 1 (2) में कहा गया है:

" 1. (2) अनुच्छेद 8,9,35 और 36 को छोड़कर इस कानून का प्रावधान,

यह केवल तभी लागू होता है जब मध्यस्थता का स्थान राज्य के क्षेत्र में हो।

जिस तरह मध्यस्थता अधिनियम, 1996 क्षेत्रीय संबंध को बनाए रखता है

मध्यस्थता के स्थान और उसके मध्यस्थता के कानून के बीच, कानून स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में भी के बीच एक स्पष्ट संबंध बनाए रखते हैं

" 176 (1) . (1) इस अध्याय का प्रावधान किसी पर भी लागू होगा। यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण की सीट स्विट्जरलैंड में है तो मध्यस्थता

और यदि उस समय जब मध्यस्थता समझौता संपन्न हुआ था,

कम से कम एक पक्ष के पास न तो अधिवास था और न ही इसकी आदत थी

स्विट्जरलैंड में निवास "।

(जोर दिया गया)

77. हमारी राय है कि "केवल" शब्द को हटा दिया गया है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (2) में कोई अंतर नहीं है -

अनुच्छेद 1 (2) में सन्निहित इसके अनुप्रयोग का क्षेत्रीय दायरा

मॉडल कानून। लेख में केवल यह कहा गया है कि मध्यस्थता

किसी दिए गए राज्य में अधिनियमित कानून लागू होगा यदि मध्यस्थता में है

उस राज्य का क्षेत्र। "केवल" शब्द की अनुपस्थिति जो

मॉडल कानून के अनुच्छेद 1 (2) में, की धारा 2 (2) से पाया जाता है

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की विषय-वस्तु/महत्व को नहीं बदलता है।

धारा 2 (2) मध्यस्थता के भाग I के अनुप्रयोग को सीमित करने के रूप में

अधिनियम, 1996 उन मध्यस्थताओं के लिए जहां स्थान/स्थान भारत में है।

16. इस संदर्भ में, हम सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या कहा गया है

आर्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड (ऊपर)। उक्त मामले में अदालत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई) (उपरोक्त) और अन्य पर भरोसा किया।

आयनों ने मध्यस्थता खंड का विश्लेषण किया और अभिनिर्धारित कियाः

" 45. वर्तमान मध्यस्थता खंड की शर्तों पर आते हुए, यह दिन के रूप में स्पष्ट है कि यदि चार्टर के तहत कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो लंदन में मध्यस्थता लागू करने के लिए; कि मध्यस्थ वाणिज्यिक पुरुष होने चाहिए जो लंदन मध्यस्थता संघ के सदस्य हैं; अनुबंध का अर्थ अंग्रेजी कानून द्वारा लगाया और नियंत्रित किया जाना है; और यह कि यदि दावा कम राशि के लिए है, तो मध्यस्थता लंदन समुद्री मध्यस्थता संघ की छोटी दावा प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए। समझौते में कोई अन्य प्रावधान नहीं है कि कोई अन्य कानून मध्यस्थता खंड को नियंत्रित करेगा। XXX

XXX

XXX

48. वर्तमान मामले में, समझौते में कहा गया है कि अनुबंध को अंग्रेजी कानून के अनुसार नियंत्रित और समझा जाना है। यह मध्यस्थता खंड में होता है। श्री विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करेंगे कि इस भाग की व्याख्या "क्यूरियल लॉ" के एक भाग के रूप में की जानी चाहिए न कि "उचित कानून" या "मूल कानून" के रूप में। यह उनका निवेदन है कि इसे मध्यस्थता के स्थान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसा कि हम समझते हैं, यह मध्यस्थता खंड के एक भाग के रूप में बनता है। विभिन्न वाक्यांशों के माध्यम से पर्याप्त संकेत हैं जैसे

" लंदन में मध्यस्थता को लागू करने के लिए, मध्यस्थों को "लंदन मध्यस्थता संघ" का सदस्य होना चाहिए और अनुबंध को "अंग्रेजी कानून के अनुसार शासित और समझा जाना चाहिए"। यह ध्यान देने योग्य है कि समझौते पर किसी भी कानून के लागू होने से संबंधित कोई अन्य शर्त नहीं है। अनुबंध में कहीं भी कोई अन्य खंड नहीं है। इसके अलावा, यह भी माना जाता है कि यदि विवाद 50,000 अमेरिकी डॉलर से कम राशि के लिए है, तो मध्यस्थता लंदन समुद्री मध्यस्थता संघ की छोटी दावा प्रक्रिया के अनुसार की जानी चाहिए। जब उपरोक्त शर्तों को प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ा और सराहा जाता है, तो पक्षों का "अनुमानित इरादा" स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि मध्यस्थता का न्यायिक स्थान लंदन होगा। इस संदर्भ में, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक अंश v. गल्फ बैंक के. एस. सी. पुनः प्रस्तुत करने योग्य है:

" यह निश्चित रूप से उपयोगी और अक्सर आवश्यक दोनों है जब एक अनुबंध में एक खंड का प्रकार और सामान्य सामग्री, पक्षों के संबंधों और इस तरह के [2018] 13 एस. सी. आर. के व्यापक अर्थों में अनुबंध के समग्र वाणिज्यिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए।

सामान्य वाणिज्यिक उद्देश्य जो इस तरह के अभ्यास से स्पष्ट रूप से सामने आ सकता है। हालांकि, मुझे यह एक वाणिज्यिक अनुबंध में एक डिफ़ॉल्ट खंड के निर्माण के लिए एक उचित दृष्टिकोण नहीं लगता है या कुछ आत्म-निहित प्राप्त करने के लिए अभिप्रेत है। ' प्रत्येक उपखंड के शब्दों के सामान्य या सामान्य निर्माण से व्यापक या व्यापक होने वाले खंड के अंतर्निहित वाणिज्यिक उद्देश्य से लाभ होगा।

XXX

XXX

XXX

50. इस प्रकार, उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर विचाराधीन खंड की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट है कि इच्छित प्रभाव लंदन में मध्यस्थता का स्थान होना है। वाणिज्यिक पृष्ठभूमि, अनुबंध का संदर्भ और पक्षों की परिस्थितियाँ और जिस पृष्ठभूमि में अनुबंध किया गया था, वह उस दिशा में अप्रत्याशित रूप से नेतृत्व करता है। हम इस निवेदन से प्रभावित नहीं हैं कि इस तरह की व्याख्या से यह प्रतिवादी को प्रभावित करेगा।

एक लाभदायक स्थिति। इसलिए हमें लगता है कि

इस खंड की व्याख्या करना उचित है कि यह एक उचित खंड या सारभूत खंड है न कि एक संक्षिप्त या प्रक्रियात्मक जिसके द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही संचालित की जानी है और इसलिए, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि मध्यस्थता का स्थान लंदन में होगा।

51. यह कहने के बाद कि भाटिया इंटरनेशनल में कहा गया निहित बहिष्करण सिद्धांत लागू होगा, समझौते के खंड को ध्यान में रखते हुए, परिशिष्ट से संबंधित उठाए गए विवाद पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त दस्तावेज़ पर दी गई किसी भी व्याख्या से उस अंतिम निष्कर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस पर हम पहले ही पहुँच चुके हैं।

17. उपरोक्त परिच्छेदों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मध्यस्थता खंड को उसके इरादे को समझने के लिए यथोचित रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि

यह निष्कर्ष निकालना कि यह सीट निर्धारित करता है या नहीं।

18. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (II) में, न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि

अधिनियम को आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि मामले के तथ्यों पर, या तो मध्यस्थता का न्यायिक स्थान भारत के बाहर है या मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून के अलावा कोई अन्य कानून है। हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहाः

भारत संघ v. हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आईएनसी [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" 20. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भले ही मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाले कानून को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, फिर भी इस न्यायालय ने विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि मध्यस्थता का स्थान लंदन होगा और इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से,

भाटिया इंटरनेशनल का अनुपात लागू नहीं होगा।

19. एट्ज़ेन बल्क ए/एस (ऊपर) में, न्यायालय ने मध्यस्थता का विश्लेषण किया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि सी. ओ. ए. के तहत विवादों का निपटारा लंदन में मध्यस्थता के लिए किया जाना था और अंग्रेजी कानून लागू होगा।

उक्त खंड को प्रस्तुत करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 33. इस प्रकार हमारा विचार है कि खंड 28 द्वारा, पक्षों ने लंदन को मध्यस्थता के लिए स्थान के रूप में चुनकर और अंग्रेजी कानून को मध्यस्थता के लिए लागू करके, जैसा कि पहले देखा गया था, अपने बीच मध्यस्थता कार्यवाही के लिए भाग I के आवेदन को बाहर करने का विकल्प चुना। अब तक यह बहुत अच्छी तरह से तय हो गया है कि जहां पक्ष भारत के बाहर मध्यस्थता के लिए एक न्यायिक स्थान का चयन करते हैं और यह प्रावधान करते हैं कि जो कानून मध्यस्थता को नियंत्रित करता है वह भारतीय कानून के अलावा एक अन्य कानून होगा, अधिनियम के भाग I का कोई आवेदन नहीं होगा और इसलिए, पुरस्कार देनदार भारत में एक अदालत के समक्ष धारा 34 के तहत आपत्तियां उठाकर पुरस्कार को चुनौती देने का हकदार नहीं होगा। एक अदालत

शब्दों में, यह निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं होगा कि कौन सा कानून मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है, क्योंकि विशेष का कानून

देश इप्सो ज्यूर लागू करेगा। से निम्नलिखित अंश

रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में शामिल हैं इस मुद्दे की व्याख्याः

" कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि पक्षों ने प्रक्रियात्मक कानून का चयन किया है जो किसी विशेष देश में मध्यस्थता का प्रावधान करके उनके मध्यस्थता को नियंत्रित करेगा। यह बहुत अधिक अण्डाकार है और जैसा कि एक अंग्रेजी अदालत ने हाल ही में ब्रेज़ ऑफ़ डोने विंड फ़ार्म में आयोजित किया था, यह हमेशा सच नहीं होता है। पक्षों ने जो किया है वह किसी विशेष देश में मध्यस्थता का स्थान चुनना है।

यह विकल्प अपने साथ उस देश के कानूनों के प्रति समर्पण लाता है, जिसमें मध्यस्थता पर उसके कानून के कोई भी अनिवार्य प्रावधान शामिल हैं।

यह कहना कि पक्षों ने मध्यस्थता को नियंत्रित करने के लिए उस विशेष कानून को "चुना" है, यह कहने के समान है कि एक अंग्रेजी महिला जो अपनी कार को फ्रांस ले जाती है, उसने फ्रांसीसी यातायात कानून को "चुना" है, जो उसे सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाने के लिए बाध्य करेगा, दाईं ओर से आने वाले वाहनों को प्राथमिकता देगा, और आम तौर पर उन यातायात कानूनों का पालन करेगा जिनके वह आदी नहीं हो सकती है। लेकिन यह कहने के लिए भाषा का एक अजीब उपयोग होगा।

इस काल्पनिक मोटर चालक ने "फ्रांसीसी यातायात कानून" का विकल्प चुना था। उसने जो किया है वह फ्रांस जाने का चुनाव करना है। फ्रांसीसी कानून की प्रयोज्यता तब स्वचालित रूप से आती है। यह चुनाव की बात नहीं है।

एक बार मध्यस्थता का स्थान चुने जाने के बाद, यह अपने साथ अपना कानून लाता है। यदि उस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो जहां तक मध्यस्थता का संबंध है, तो उन प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। यह किसी भी तरह की पसंद की बात नहीं है कि अनुमानित मोटर चालक यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि कौन से स्थानीय यातायात कानूनों का पालन करना है और किसे अनदेखा करना है। 20. आईमैक्स निगम (ऊपर) में, मध्यस्थता खंड और आई. सी. सी. नियमों की व्याख्या करते हुए और पहले के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनायाः

" 39. यदि मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में, मध्यस्थता भारत के बाहर हुई, तो मध्यस्थता अधिनियम के भाग I का स्पष्ट बहिष्कार है। वर्तमान मामले में, पक्षों ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की

कि मध्यस्थता आई. सी. सी. के मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी और आई. सी. सी. द्वारा मध्यस्थता का स्थान चुना जाएगा। वास्तव में, आई. सी. सी. ने पक्षों से परामर्श करने के बाद लंदन को मध्यस्थता के स्थान के रूप में चुना। मध्यस्थता बिना लंदन में आयोजित की गई थी

किसी भी पक्ष से विरोध। सभी पुरस्कार यानी दो आंशिक अंतिम पुरस्कार और तीसरा अंतिम पुरस्कार लंदन में दिए गए थे और पार्टियों को सूचित किया गया था। हम पाते हैं कि यह एट्ज़ेन बल्क ए/एस द्वारा भाग I के बहिष्करण और निर्णयों का एक स्पष्ट मामला है।

उसका उल्लेख किया गया और उसका पालन किया गया।

21. रोजर शाशोआ (ऊपर) में, पूर्ववर्ती की अवधारणा से निपटने के अलावा, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मध्यस्थता खंड की शरीर रचना को भी स्कैन किया और कहाः

" ..... स्थल और सीट के बीच का अंतर बना रहता है। लेकिन जब एक अदालत को पता चलता है कि आयोजन स्थल के लिए पर्चे हैं और

कुछ और, न्यायिक स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। जैसा कि तत्काल मामले में, विचाराधीन समझौते की व्याख्या की गई है और यह माना गया है कि लंदन

केवल स्थान के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन लंदन में अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र होगा, एक और व्याख्यात्मक धारणा के रूप में

विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाना अस्वीकार्य है। "

22. अब हम सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) में चर्चा और अंतिम निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और 1996 के अधिनियम के तहत बाद के निर्णयों ने इसे कैसे माना। भारत में एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन (सुप्रा) (बाल्को-II), तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णयों पर विचार किया।

और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) और इस प्रकार नोट कियाः

" 13. अपीलार्थी के लिए सुमितोमो का कोई लाभ नहीं है। सुमितोमो में, मध्यस्थता समझौते के कानून पर कोई विशिष्ट विकल्प नहीं था और इस न्यायालय ने माना कि इस तरह के विकल्प के अभाव में, मध्यस्थता समझौते का कानून मध्यस्थता समझौते के मूल कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अनुबंध। इस समझौते में ऐसा नहीं है। '

इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (II) (ऊपर) पर जोर दिया और राय दी कि 1940 के अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन नहीं था

बनाए रखने योग्य। 23. कानून के उपरोक्त विकास को देखते हुए, इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है कि मध्यस्थता का स्थान और स्थान क्या है

माध्यस्थम् मतलब। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थता खंड को समग्र तरीके से पढ़ा जाना चाहिए ताकि न्यायालय की अधिकारिता निर्धारित की जा सके। इसके अलावा, यदि प्रिस्क्रिप्शन की प्रकृति के आधार पर स्थान का उल्लेख है और उसमें कुछ और जोड़ा गया है, तो न्यायालय इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि अधिनियम के भाग I का निहित बहिष्कार है। सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (II) में संदर्भित किया गया है और प्रतिष्ठित। किसी भी मामले में, यह अधिनियम के तहत विवाद के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है। उक्त विवाद को बाल्को सिद्धांत या समझौते या निहित बहिष्करण के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए जैसा कि किया गया है।

भाटिया इंटरनेशनल में आयोजित।

24. इस प्रकार, हम संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार देते हैं।

25. संदर्भ को संबोधित करने के बाद, हम विज्ञापन देंगे

ए. टी. आई. एन. खंड इस बात का वर्णन करने के लिए कि क्या यह अधिकार क्षेत्र को हटा देता है

भारत में एस। मध्यस्थता समझौते का अनुच्छेद 32 इस प्रकार हैः

" 32.1 इस अनुबंध में शासित और व्याख्या की जाएगी

भारत के कानूनों के अनुसार। 32.2 इस अनुबंध में कुछ भी ठेकेदार को अभ्यास करने का अधिकार नहीं देगा।

इस अनुबंध द्वारा उसे प्रदत्त अधिकार, विशेषाधिकार और शक्तियाँ

इस तरह से जो भारत के कानूनों का उल्लंघन करेगा। 26. अनुच्छेद 33 "एकमात्र विशेषज्ञ, सुलह और मध्यस्थ" से संबंधित है।

ली 33.9 और 33.12 इस प्रकार पढ़ेः

" 33.9 मध्यस्थता कार्यवाही तदनुसार संचालित की जाएगी।

1985 का मध्यस्थता सिवाय इसके कि दोनों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में इस अनुच्छेद 33 के नियम और प्रावधान, के प्रावधान

यह अनुच्छेद 33 शासन करेगा।

XXX

XXX

XXX

33.12 सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान

इस अनुच्छेद के लिए जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत नहीं होते हैं, तब तक कुआला होगा

लंपुर और अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाएगा। जहाँ तक

व्यावहारिक रूप से पक्षकार इन शर्तों को लागू करना जारी रखेंगे -

यह अनुबंध मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत के बावजूद

और कोई लंबित दावा या विवाद। ”

[जोर दिया गया]

27. यह श्री तुषार मेहता, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

भारत संघ की ओर से राल ने कहा कि कोई विशिष्ट उल्लेख रिडिकल सीट नहीं है, लेकिन संदर्भ स्थल का है। उन्होंने हमारे राष्ट्र को UNCITRAL मॉडल कानून की ओर भी आकर्षित किया है जिसका उल्लेख अनुच्छेद में किया गया है।

समझौते से। UNCITRAL मॉडल कानून का अनुच्छेद 20 पढ़ता है कमियाँः

" अनुच्छेद 20। मध्यस्थता का स्थान। — (1) पक्षकार सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं

मध्यस्थता के स्थान पर। इस तरह के समझौते में विफल होने पर,

मध्यस्थता का निर्धारण मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा। मामले की परिस्थितियों के लिए, सुविधा सहित

दलों को।

(2) इस अनुच्छेद के अनुच्छेद (1) के प्रावधानों के बावजूद,

मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए,

किसी भी स्थान पर मिलना जो उनके बीच परामर्श के लिए उचित समझे इसके सदस्य, गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को सुनने के लिए, या

माल, अन्य संपत्ति या दस्तावेजों का निरीक्षण।

[जोर दिया गया]

इस प्रकार, अनुच्छेद 20 (1) "न्यायिक स्थान" के "निर्धारण" को अनिवार्य करता है।

" स्थल "। 28. UNCITRAL मॉडल कानून का अनुच्छेद 31 (3) इस प्रकार हैः

" अनुच्छेद 31। पुरस्कार का प्रपत्र और सामग्री।

(3) पुरस्कार में अपनी तारीख और मध्यस्थता का स्थान इस प्रकार बताया जाएगा -

अनुच्छेद 20 (1) के अनुसार निर्धारित किया गया। यह पुरस्कार उस स्थान पर दिया गया माना जाएगा।

29. UNCITRAL के अनुच्छेद 20 और 31 (3) के अवलोकन पर

आदर्श कानून, हम पाते हैं कि पक्ष मध्यस्थता के स्थान पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। एक बार जब उक्त सहमति मध्यस्थता खंड में दी जाती है या इसे खंड और अन्य सहवर्ती कारकों जैसे हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड के मामले से व्याख्यात्मक रूप से निकाला जाता है, जो स्थान के बारे में बताता है और इसके अलावा कुछ जिसके द्वारा मध्यस्थता का स्थान है

निर्धारित करने योग्य। दूसरा तरीका, जैसा कि UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 20 में प्रदान किया गया है, वह है जहां पक्ष इस स्थान पर सहमत नहीं हैं -

मध्यस्थता, वही मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा। निर्णय लेने की ऐसी शक्ति मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 31 (3) स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि पुरस्कार में अनुच्छेद 20 (1) के अनुसार निर्धारित मध्यस्थता की तारीख और स्थान का उल्लेख होगा।

30. आईमैक्स निगम (ऊपर) में आई. सी. सी. का संदर्भ है।

नियम और नियम प्रदान करते हैं कि मध्यस्थता का स्थान न्यायालय द्वारा तब तक निर्धारित किया जाएगा जब तक कि पक्षकारों द्वारा सहमति न हो। उक्त मामले में, अपीलार्थी ने मध्यस्थता के स्थान को फ्रांस में पेरिस के रूप में प्रस्तावित किया था। द.

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला किया कि लंदन, यूनाइटेड किंगडम

आई. सी. सी. नियमों के अनुच्छेद 14 (1) को ध्यान में रखते हुए यह मध्यस्थता का न्यायिक केंद्र होगा और इसलिए, अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I के आधार पर प्रदान किया जाएगा। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया -

" 24. वर्तमान मामले में, मध्यस्थता खंड मध्यस्थता समझौते के लिए लागू कानून को निर्दिष्ट किए बिना आई. सी. सी. नियमों के अनुसरण में किए गए निर्णय पर विचार करता है। अतः यह अभिनिर्धारित करना उचित होगा कि अधिनिर्णय की वैधता का प्रश्न उस राज्य के कानून के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें मध्यस्थता की कार्यवाही हुई है अर्थात अंग्रेजी कानून। हालांकि इस निर्णय के प्रयोजनों के लिए हम केवल यह मानेंगे कि पक्षों का आचरण भाग I की प्रयोज्यता को बाहर करता है। दूसरे शब्दों में, जहां पक्षों ने स्पष्ट रूप से समग्र रूप से अनुबंध को नियंत्रित करने वाली कानून या विशेष रूप से मध्यस्थता समझौते को नहीं चुना है, उस देश की कानून जहां मध्यस्थता आयोजित करने के लिए सहमत है, उसकी प्रधानता है। 25. यहां, मध्यस्थता के संचालन के संबंध में पक्षों द्वारा एक स्पष्ट विकल्प चुना गया है अर्थात कि एक विवाद को अंततः मध्यस्थता के आई. सी. सी. नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा। पक्षकारों ने मध्यस्थता का स्थान नहीं चुना है। उन्होंने केवल उन नियमों को चुना है जो मध्यस्थता को नियंत्रित करेंगे, संभवतः जागरूक हैं।

नियमों में प्रावधान है कि मध्यस्थता का स्थान आई. सी. सी. द्वारा आई. सी. सी. नियमों के अनुच्छेद 14 (1) के अनुसार तय किया जाएगा। आई. सी. सी. ने लंदन को चुना है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थता का स्थान मध्यस्थता से संबंधित सभी मामलों में यू. के. के कानून को आकर्षित करेगा। " न्यायालय ने आगे ध्यान दिया कि उक्त मामले में,

मध्यस्थता खंड में ए. टी. आई. एन. बिल्कुल भी निर्दिष्ट नहीं किया गया था। वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थता नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी और उसी पर राय देते हुए, यह देखा गयाः

" 29. हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड में मध्यस्थता का स्थान बिल्कुल भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हालाँकि मध्यस्थता के अनुसार आयोजित करने के लिए एक समझौता है

आई. सी. सी. नियम और इस प्रकार एक इच्छा कि मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर हो सकता है। किसी भी मामले में, पक्षों ने सहमति व्यक्त की है

आई. सी. सी. और आई. सी. सी. द्वारा पक्षकारों और पक्षों से परामर्श करने के बाद लंदन को चुनने के निर्णय का पालन करते हुए, यह माना जाना चाहिए कि आई. सी. सी. के लंदन में मध्यस्थता आयोजित करने के निर्णय पर, पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की कि सीट सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए लंदन में होगी। इसलिए, एक समझौता है कि मध्यस्थता लंदन में आयोजित की जाएगी और इस प्रकार अधिनियम के भाग I को बाहर रखा जाना चाहिए। भारत संघ v.

31. वर्तमान मामले में, पक्षकारों के बीच मध्यस्थता के स्थान पर सहमति होनी थी। इस पर सहमति नहीं बनी थी और

समझौते की विफलता, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पक्षों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर यह भी बाध्यकारी है कि निर्धारण को अनुच्छेद 31 में अभिनिर्धारित 'निर्णय के रूप और विषय-वस्तु' में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा। कोई निश्चय नहीं किया गया है।

32. यह ध्यान दिया जाए कि 'दृढ़ संकल्प' शब्द के लिए एक सकारात्मक कार्य करने की आवश्यकता होती है। हाथ में मामले में, एकमात्र पहलू जिसे उजागर किया गया है श्री सी. यू. सिंह द्वारा, विद्वान वरिष्ठ वकील, यह है कि मध्यस्थ ने कुआलालंपुर में बैठक की और पुरस्कार पर हस्ताक्षर किए। यह, हमारी सुविचारित राय में, दृढ़ संकल्प के बराबर नहीं है। खंड श्रेणीबद्ध है। विभिन्न स्थानों पर बैठकें आयोजन स्थल से संबंधित होती हैं। इसे मध्यस्थता के स्थान या मध्यस्थता के स्थान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जिसका एक अलग अर्थ है जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (I), (II) (ऊपर), हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड (ऊपर) और रोजर में माना गया है।

शाशोआ (ऊपर)।

दृढ़ संकल्प की बात है, कोई दृढ़ संकल्प नहीं हुआ है। अशोक लेलैंड लिमिटेड और स्टेट ऑफ टी. एन. और एक अन्य मामले में, न्यायालय ने लॉ लेक्सिकन से 'निर्धारण' की परिभाषा को पुनः प्रस्तुत किया गया, अय्यर, पी. रामनाथ द्वारा दूसरा संस्करण और ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण। संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

" निर्धारण या आदेश। 'निर्धारण' अभिव्यक्ति राय की एक प्रभावी अभिव्यक्ति को दर्शाती है जो किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा विवाद या विवाद को समाप्त करती है जिसे यह वैध प्राधिकरण के तहत प्रस्तुत किया जाता है। निपटान के
लिए कानून। 'आदेश' अभिव्यक्ति का भी एक समान अर्थ होना चाहिए, सिवाय इसके कि इसे विवाद को समाप्त करने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है।

निर्धारण या आदेश न्यायिक या अर्ध-न्यायिक होना चाहिए। जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम लक्ष्मी चंद 3 0 (भारत का संविधान, अनुच्छेद 136) "।

" एक 'निर्धारण' अपील के उद्देश्यों के लिए एक 'अंतिम निर्णय' है।

जब विचारण न्यायालय कार्रवाई में पक्षों के अधिकारों का अपना निर्णय पूरा कर चुका हो। थॉमस वैन डाइकेन संयुक्त उद्यम बनाम। वान डाइकेन 3 1 319

उक्त परीक्षण का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति एक अभिव्यंजक राय को दर्शाती है। तत्काल मामले में, कोई निर्णय और राय की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। अतः 'स्थान' शब्द का उपयोग आसन के रूप में नहीं किया जा सकता है। विस्तार से, एक स्थान एक सीट बन सकता है यदि इसमें एक संगत के रूप में कुछ और जोड़ा जाता है। लेकिन सीट के विपरीत एक स्थान, कम से कम जैसा कि अनुबंध में देखा गया है, एक सीट बन सकता है यदि पूर्ववर्ती शर्तों में से एक संतुष्ट हो। यह वास्तव में सीट का दर्जा नहीं लेता है। इस प्रकार समझा जाता है कि कुआलालंपुर मध्यस्थता का स्थान या स्थान नहीं है और विनिमेय उपयोग सख्ती से लागू नहीं होगा।

34. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि भारत में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है और इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। नतीजतन, अपील स्वीकार कर ली जाती है और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 34 के तहत दिए गए आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान

30 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 677,680 31 90 विस 236,27 एन. डब्ल्यू. 2 डी 459,463